(154)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः– श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4215–एक/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30–12–2015 के द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल समर्रा तहसील व जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 23/अ–121/ 2015–16.

....

जिनेन्द्र कुमार जैन आत्मज किशोरीलाल जैन
निवासी मुहल्ला कटरा बाजार टीकमगढ .
तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0

––– आवेदक

विरूद्ध

1– अभिषेक जैन पुत्र नरेन्द्र कुमार जैन
2– अर्पित जैन पुत्र नरेन्द्र कुमार जैन
दोनो निवासी मचपुरा मोहल्ला टीकमगढ़
तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0

––– अनावेदकगण

....

श्री जी0 पी0 नायक , अभिभाषक, आवेदक
श्री ओ0 पी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

आदेश

(आज दिनांक 18/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल समर्रा तहसील व जिला टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदकगण अभिषेक, अर्पित पुत्रगण नरेन्द्र कुमार जैन निवासी मचपुरा मोहल्ला टीकमगढ़ द्वारा ग्राम माड़ूपुर खास पटवारी हल्का नम्बर 36 में

स्थित खसरा न0 1/3 रकवा 0.303 है0 का सीमांकन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 22.12.15 को सूचना पत्र जारी किया, तथा पंचनामा, एवं सीमांकन प्रतिवेदन, तथा फील्ड बुक प्राप्त कर कोई आपत्ति नहीं होने के कारण सीमांकन दिनांक 30.12.15 को आदेश पारित किया। इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गई है। उनके सीमांकन आवेदन दिनांक 29.10.15 से स्पष्ट हो रही है क्यों कि उस आवेदन में अनावेदक म0 प्र0 शासन को पक्षकार बनाया गया है जबकि सीमांकन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत गजराज सिंह विरूद्व रामसिंह तथा अन्य 2006 राजस्व निर्णय 218 द्वारा निर्धारित किया है कि विरोधी पक्ष को सूचना दिया जाना आवश्यक हे जिस कारण सीमांकन आदेश दिनांक 30.12.2015 न्यायोचित नहीं है बल्कि निरस्त किया जाना न्यायोचित है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त सीमांकन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी आवेदक को दिनांक 30.11.16 को हुयी ज बवह नायब तहसीलदार वृत्त समर्रा द्वारा दिये गये नोटिस के पालन में उनके न्यायालय में अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुआ तब उन्हें आलोच्य आदेश की जानकारी हुई, तो आवेदक ने उसी दिनांक 30.11.16 को आलोच्य आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जो आदेश दिनांक 3. 12.16 को सांय काल आवेदक को प्राप्त हुआ। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रकरण को विलंब से प्रस्तुत करने हेतु क्षमा किया जावे। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी सवीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व निरीक्षक मण्डल समर्रा तहसील व जिला टीकमगढ़ द्वारा आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया था लेकिन उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया था, जबकि अन्य सरहदी कास्तकारों के सूचना पत्र पर हस्ताक्षर हैं जिससे यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि आवेदक को सीमांकन की जानकारी नहीं है। राजस्व निरीक्षक मण्डल समर्रा द्वारा विधि प्रावधानों के अंतर्गत सीमांकन किया गया है एवं सीमांकन

की धारा 129 के सभी प्रावधानों का पालन करते हुये राजस्व निरीक्षक द्वारा आदेश पारित किया गया है जो विधि प्रावधानों से सही एवं उचित हैं। उनके द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त किया जावे, तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल समर्रा का आदेश दिनांक 30.12.15 स्थिर रखा जावे।

5– उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त समर्रा द्वारा दिनांक 22.12.15 को सरहदी कास्तकारों को सूचना पत्र भेजा गया है जिसमें, अभिषेक, अमित, पुत्रगण नरेन्द्र कुमार जैन तथा जिनेद्र पुत्र किशोरी लाल जैन, श्रीमती दीपिका पत्नी नरेन्द्र कुमार जैन, अमित पुत्र जय कुमार शास्त्री निवासी टीकमगढ़ को भेजा गया है जिसमें जिनेन्द्र कुमार जैन द्वारा हस्ताक्षर करने से इनकार किया गया है, यह सूचना पत्र अभिलेख में पृष्ठ कमांक 9 पर संलग्न है। राजस्व निरीक्षक द्वारा पंचनामा में स्पष्ट लेख किया गया है कि सरहदी कास्तकारों को सीमाओं का ज्ञान कराया गया तथा जिनेन्द्र कुमार जैन मौके पर उपस्थित नहीं हुये। उनके द्वारा खसरा न0 1/3 रकवा 0.303 है0 में से रकवा 0.020 है0 पर कब्जा पाया गया। आवेदक का यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि उसे सीमांकन की जानकारी नहीं थी।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल समर्रा तहसील व जिला टीकमगढ द्वारा सीमांकन की धारा 129 का पालन करते हुये आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप राजस्व निरीक्षक मण्डल समर्रा तहसील व जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 23/अ–121/ 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.12.15 विधि प्रावधानों से उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर